न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 38 / 2022 दायर दिनांक 27.12.2022
जीसीएमएस नं. 2022 / 94 निर्णय दिनांक 10.09.2025

1. भूरा पिता भेमा डामोर निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

– अपीलाण्ट

बनाम

1. ईश्वरलाल पिता कालू डामोर निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. गोतमी पत्नि कालू डामोर निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
3. बापू पिता कालू डामोर निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
4. रमेशचन्द्र पिता कालू डामोर निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
5. शंकर पिता कालू डामोर निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – **1.श्री प्रवीण शुक्ला – अपीलाण्ट अभिभाषक**
2. श्री संदीप भट्ट – रेस्पोडेन्ट अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 05

–:निर्णयः– **दिनांक – 10.09.25**

1. .अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर का खसरा नम्बर 2834 कुल रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा की भूमि मे से 04 बीघा भूमि का आवंटन प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2002 कैम्प अम्बाडा मे जरिये मिसल नंबर 1476 / 02 के विपक्षी संख्या 1 से 5 को आवंटन हुआ है। आवंटित खसरे का नया नम्बर 3919 / 2834 रकबा 04 बीघा कायम हुआ है ।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

उपरोक्त आवंटित आराजी पर प्रार्थी का विगत 70 वर्षो से प्रार्थी के बाप–दादा के जीवनकाल से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के पास ही प्रार्थी के खाते कि भूमि स्थित है। इस भूमि पर प्रार्थी का मकान भी बना हुआ है। वादग्रस्त भूमि का आवंटन आवंटी द्वारा कैम्प मे पटवारी से मिल कर छिपे तौर करा लिया है। आवंटी उक्त भूमि के लिए आवंटन का पात्र नही था। आवंटी भूमिहीन श्रेणी में नही था। पटवारी स्वंय द्वारा आवंटन की रिपोर्ट मे वर्णित किया है कि उसके पास पूर्व से 07 बीघा 03 बिस्वा भूमि है। हालांकि पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट भी गलत की है। आवंटी कालू के पास कुल 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी। पटवारी द्वारा मात्र 01 एक खाते की भूमि का ही विवरण दिया गया है। आवंटी कालू के खाते मे वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 503 मे कुल 03 खसरे होकर इसका कुल खसरे होकर इसका कुल क्षेत्रफल 07 बीघा 03 बिस्वा (1.1569 हैक्टेयर) ही बताया है, जबकि आवंटी के पैतृक खाते मे और भी जमीन थी, जिसका विवरण गांव अम्बाडा की जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 502 में वर्णित है इसमे कुल 13 खसरे होकर कुल जमीन 1.8608 हैक्टेयर जो कि 11 बीघा 10 बिस्वा होता है, उसमे कालू का 1/2 हिस्सा होने से कालू के पास 05 बीघा 15 बिस्वा जमीन और थी जिसको कि छिपाया गया है। इस प्रकार आवंटी के पास पर्याप्त कृषि भूमि 12 बीघा 18 बिस्वा थी वह आवंटन के पात्र नही था। आवंटी द्वारा भी अपने आवेदन मे 07 बीघा 03 बिस्वा जमीन होना ही बता कर Fraud किया है व कपटपूर्वक आवंटन करा लिया है एवं बाद में खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिए है। आवंटन के बाद रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन नियम के नियम 20 की पालना नही की गई है। आवंटन के पश्चात आवंटी को कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है ।

अतः उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त करने की कृपा करे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप भट्ट द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया।

3. अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया। जवाब का सक्षिप्त सार इस प्रकार है कि मौजा अंबाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर के खसरा नंबर 2834 रकबा 4 बीघा कृषि भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं चला आ रहा है। अप्रार्थीगण स्वंय व उनके पिता अपने पैतृक काल से उक्त खसरा नंबर पर वर्षो से काबिज होकर खेती करते आ रहे है। आवंटन के 21 वर्ष की लंबी समयावधि बाद प्रार्थी द्वारा जानबूझकर आवंटन निरस्त का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी उक्त आवंटित कृषि भूमि पर जानबूझकर जबरन काबिज होना चाहता है। दिनांक 17.06.2020 को जो पर्चा मौका बनाया गया उसमे पटवारी हल्का ने मय रिकॉर्ड उपस्थित मौतबिरान लोगों के समक्ष

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पहुंच मौके पर खसरा नंबर 3919/2834, 2788, 2826 की सीमा जानकारी हेतु जरीब चलाना चाहा, परंतु प्रार्थी ने मना कर दिया, जिस कारण सीमा जानकारी नही हो पाई उक्त तथ्य पर्चा मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। विपक्षी द्वारा किसी तरह का फ्रोड व कपटपूर्वक आवंटन नही करवाया गया है। उक्त आवंटन विधिवत ग्राम पंचायत व पूरी कोरम कमेटी द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ आवंटन किया गया है। आवंटन नियमों की पालना करते हुए आवंटित कृषि भूमि जिस पर विपक्षीगण पिछले 22 वर्षो व उनके पैतृत्व काल से काविज होकर खातेदार काश्तकार है। उक्त स्थिति में 22 वर्ष पूर्व से काविज काश्त खातेदारी व उस आधार पर हुआ आवंटन न्यायहित में निरस्त किए जाने योग्य नही है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। विपक्षीगण द्वारा निर्मित झोंपडे को प्रार्थी अपना बताकर हडपना चाहता है। प्रार्थी के मन में खोट है वह स्वंय जानता है कि वह गलत है तथा जानबुझकर विपक्षीगण को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करने के उद्धेश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षीगण के कृषि भूमि पर जानबूझकर नाजायज कब्जा करने की गरज रखता है और विपक्षीगण को परेशान करना चाहता है। प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो न्यायहित में खारिज फरमाने योग्य है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गांव अम्बाडा तहसील चिखली का खसरा नम्बर 2834 कुल रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा की भूमि मे से 04 बीघा भूमि का आवंटन प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2002 कैम्प अम्बाडा मे जरिये मिसल नंबर 1476/02 के विपक्षी संख्या 1 से 5 को आवंटन हुआ है, आवंटित खसरे का नया नम्बर 3919/2834 रकबा 04 बीघा बना।

उपरोक्त आवंटित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के पास ही प्रार्थी के खाते कि भूमि स्थित है। इस भूमि पर प्रार्थी का मकान भी बना हुआ है। वादग्रस्त भूमि का आवंटन आवंटी द्वारा कैम्प मे पटवारी से मिल कर छिपे तौर करा लिया है। आवंटी उक्त भूमि के लिए आवंटन का पात्र नही था। आवंटी भूमिहीन श्रेणी में नही था। पटवारी स्वंय द्वारा आवंटन की रिपोर्ट मे वर्णित किया है कि उसके पास पूर्व से 07 बीघा 03 बिस्वा भूमि है। हालांकि पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट भी गलत की है। आवंटी कालू के पास कुल 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी। पटवारी द्वारा मात्र 01 एक खाते की भूमि का ही विवरण दिया गया है। आवंटी कालू के खाते मे वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075—2078 के खाता संख्या 503 मे कुल 03 खसरे होकर इसका कुल खसरे होकर इसका कुल क्षेत्रफल 07 बीघा 03 बिस्वा (1.1569 हैक्टेयर) ही बताया है, जबकि आवंटी के पैतृक खाते मे और भी जमीन थी, जिसका विवरण

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

गांव अम्बाडा की जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 502 में वर्णित है इसमे कुल 13 खसरे होकर कुल जमीन 1.8608 हैक्टेयर जो कि 11 बीघा 10 बिस्वा होता है, उसमे कालू का 1/2 हिस्सा होने से कालू के पास 05 बीघा 15 बिस्वा जमीन और थी जिसको कि छिपाया गया है। इस प्रकार आवंटी के पास पर्याप्त कृषि भूमि 12 बीघा 18 बिस्वा थी वह आवंटन के पात्र नही था। आवंटी द्वारा भी अपने आवेदन मे 07 बीघा 03 बिस्वा जमीन होना ही बता कर Fraud किया है व कपटपूर्वक आवंटन करा लिया है एवं बाद में खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिए है। आवंटन के बाद रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन नियम के नियम 20 की पालना नही की गई है। आवंटन के पश्चात आवंटी को कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है ।

अतः उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमावें।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स. 01 से 05 की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा अंबाडा तहसील चिखली के खसरा नंबर 2834 रकबा 4 बीघा कृषि भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है। रेस्पोडेण्ट स्वंय व उनके पिता अपने पैतृक काल से उक्त खसरा नंबर पर वर्षो से काबिज होकर खेती करते आ रहे है। आवंटन के 21 वर्ष की लंबी समयावधि बाद प्रार्थी द्वारा जानबूझकर आवंटन निरस्त का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी उक्त आवंटित कृषि भूमि पर जानबूझकर जबरन काबिज होना चाहता है। विपक्षी द्वारा किसी तरह का फ्रोड व कपटपूर्वक आवंटन नही करवाया गया है। उक्त आवंटन विधिवत ग्राम पंचायत व पूरी कोरम कमेटी द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ आवंटन, आवंटन नियमों की पालना करते हुए किया गया है। प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो कि न्यायहित में खारिज योग्य है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। आवंटन मिसल के अवलोकन से जाहिर आया कि कालू पिता वेलजी मीणा एवं श्रीमति गौतमी पत्नि कालू मीणा निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौजा अम्बाडा के खसरा नम्बर 2834 कुल रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा की भूमि मे से 04 बीघा भूमि का आवंटन वर्ष 2002 में हुआ। आवंटित खसरे का नया नम्बर 3919/2834 रकबा 04 बीघा कायम हुआ है । वर्तमान जमाबन्दी अनुसार आवंटी के वारीसान के नाम आराजी दर्ज रिकोर्ड होकर गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हो चूके है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, एवं आवंटी द्वारा आवंटन fraud व गलत रूप से कराया जाने का अकंन किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील में रेस्पोडेण्ट को भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नही आना अकंन किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता है और आवंटी द्वारा आवंटन गलत रूप से कराया जाना साबित होता हो। अपीलाण्ट द्वारा इस तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे आवंटी आवंटन हेतु अपात्र होता हो क्योकि आवंटी के सभी खातो की आराजी के आवंटी के हिस्से की आराजी को स्वयं के भूमि में शामिल किया जाता है तो भी आवंटी अपने पास उपलब्ध आराजी व आवंटी आराजी को मिलाकर भी निर्धारित सीमा (4 है0) से कम भूमि होती है। आवंटन वर्ष 2002 का है। आवंटी के वारिसान को खातेदारी हक प्राप्त हो चुके है एवं खसरा गिरदावरी अनुसार आवंटी का कब्जा काश्त है।

इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को तथ्य छिपा कर गलत रूप से आवंटन कराया जाने का अकंन किया है। जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन तथ्य छिपा कर आवंटन कराया जाना साबित होता हो। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौजा राजस्व ग्राम अम्बाडा के खसरा नम्बर 2834 कुल रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा की भूमि मे से 04 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 को आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :–श्री दिनेश धाकड़ (आर.ए.एस.)
मु.नं. –38 / 2022
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयो. भूमि आवंटन नियम 1970
उनवान– भूरा बनाम ईश्वरलाल

निर्णय आज दिनांक 10.09.25 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूँगरपुर